सुबिया बानो आदि बनाम अयुब अली आदि
2026 / 06
निर्णय दिनांकः–27.01.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–13.01.2026

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2026 / 06

1. सुबिया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद जाति लोहार निवासीनी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
2. अजमल पुत्र खुशी मोहम्मद जाति लोहार निवासीनी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. अयुब अली पुत्र शोकत अली जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
2. सिकन्दर पुत्र शोकत अली जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
3. मकसूद पुत्र शोकत अली जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
4. इस्लाम पुत्र शोकत अली जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
5. जैतून पत्नि आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
6. जब्बार पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
7. मुस्तफा पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
8. रसीद पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
9. सहाबुदीन पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
10. आरीफ पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
11. ताज मोहम्मद पुत्र समसुदीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू
12. लियाकत अली पुत्र समसुदीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 चमन बास चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री सुरेन्द्र डूडी
अप्रार्थीः– श्री महावीर प्रसाद

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 152
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि दावा संख्या 157 / 2022 निर्णय दिनांक 18.06.2025 वादीगण द्वारा वास्ते खाता विभाजन का पेश किया गया था जिसका निर्णय कर दिनांक 18.06.2025 को अन्तिम [illegible] दी गई। न्यायालय के दावा में बाद सुनवाई प्रारम्भिक डिक्री [illegible] विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया गया था विभाजन प्रस्ताव तह[illegible] अप्रार्थीगण वादीगण व दावा में रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादीगण सभी के नाम से तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था न्यायालय द्वारा ख.नं. 1150/304 रोही मौजा गाजसर की भूमि बाबत प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थीगण के बीच विवादित भूमि की अन्तिम डिक्री जारी करते समय न्यायालय द्वारा सहवन से प्रार्थीया सं. 1 सुबीया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद का नाम अंकित होने से रह गया खुशी मोहम्मद के दो वारिस थे मोहम्मद अजमल पुत्र खुशी मोहम्मद व सुबिया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद, खुशी मोहम्मद की 1/4 हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 अजमल के सहवन से अंकित हो गई जबकि अजमल पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद व सुबिया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद 1/4 हिस्सा की जानी थी, यही विभाजन प्रस्ताव में अंकित है।

2. विवादित भूमि से संबंधित दावा खेत ख. नं. 1150/304 रोही मोजा गाजसर तहसील चूरू व खेत ख. नं. 416, 416/1, 416/2 रोही मोजा रतननगरकी भूमि बाबत पेश किया गया था वादीगण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक हिस्सा रोही मोजा गाजसर की भूमि में रहा है व दावा में रहे प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रोही मोजा रतननगर की भूमि में रहा है। प्रतिवादीगण का रोही मोजा गाजसर की भूमि में हक हिस्सा नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि प्रतिवादीगण का रोही मौजा गाजसर की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है।

3. अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि दावा अनवानी अयूब अली बनाम अजरूदीन वगैरा दावा सं. 157/2022 निर्णय दिनांक 18.06.2025 की अन्तिम डिक्री में रोही मौजा गाजसर की तालिका के क्रम सं. 1 में अजमल पि. खुशी मोहम्मद ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा जाति लोहार निवासी चूरू खातेदार के स्थान सहवन से रहे सुबिया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद मोहम्मद अजमल पि. खुशी मोहम्मद ब.हि. ब. 1/4 हिस्सा जाति लोहार निवासीगण चूरू खातेदार अंकित किया जाने का आदेश फरमायें।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय में पेश दावा में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादगत कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चूरू से मंगवाया गया जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी के नाम से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया था मगर श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा जब अन्तिम डिक्री दिनांक 18.06.2025 को जारी की गई उसमें सहवन से प्रार्थीया सं. 1 सुबिया बानो का नाम अंकित होने से रह गया था इसलिए दिनांक 18.06.2025 को न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री में सुबिया बानो पत्नि खुशी मोहम्मद व मोहम्मद अजमल पुत्र खुशी मोहम्मद 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. जाति लोहार निवासीगण चूरू अंकित किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

5. जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए उक्तानुसार संशोधन किये जाने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अनापत्ति जाहिर की है।

6. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अव[illegible] उभयपक्ष के तर्क सुने गये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा संख्या 1[illegible] वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1150/304 रोही मौजा गाजसर तहसील चू[illegible]कर तहसीलदार चूरू से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था। उक्त विभाजन प्र[illegible] तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सभी के नाम से तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि स्व. खुशी मोहम्मद के दो जायज वारिस मोहम्मद अजमल पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद एवं सुबिया बानो पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद हैं, जिनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता है। उक्त तथ्य विभाजन प्रस्ताव में भी स्पष्ट रूप से अंकित है। किन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित अन्तिम डिक्री में अनजाने में एवं लेखन त्रुटिवश प्रार्थीया सं. 1 सुबिया बानो पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद का नाम सहवन खातेदार के रूप में अंकित होने से रह गया तथा सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा केवल मोहम्मद अजमल पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद के नाम अंकित हो गया, जो विभाजन प्रस्ताव के विपरीत है। धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी भी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में हुई आकस्मिक त्रुटि, लेखन त्रुटि अथवा गणनात्मक त्रुटि को किसी भी समय संशोधित कर सके। वर्तमान प्रकरण में यह त्रुटि स्पष्ट रूप से एक लेखन/टंकण त्रुटि है, जिससे किसी भी पक्षकार के अधिकारों में कोई नया सृजन नहीं होता है, बल्कि अभिलेख के अनुरूप वास्तविक स्थिति के अनुसार किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण द्वारा भी उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति अथवा एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थना–पत्र धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाता है। दावा संख्या 157/2022 में न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 18.06.2025 में रोही मौजा गाजसर, खसरा नम्बर 1150/304 की तालिका में जहाँ "अजमल पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद, जाति लोहार, निवासी चूरू, ब.हि. ब. 1/4 हिस्सा" अंकित है, वहाँ संशोधन कर "सुबिया बानो पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद एवं मोहम्मद अजमल पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद, जाति लोहार, निवासीगण चूरू, खातेदार, ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा" पढ़ा जावे। तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश मूल निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू) चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested